न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 15/2022
दायर दिनांक : 22/03/2022
निर्णय दिनांक : 22/05/2024

उनवान

1. गीतादेवी पुत्री नाथू पत्नी शांतिलाल धोबी निवासी कांकरवा हा.मु. गिलूण्ड़ तह. रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. हेमराज पिता नाथूलाल धोबी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
2. भूरालाल पिता नाथूलाल धोबी निवासी कांकरवा तहसील भूपालसागर
3. उपपंजीयक, भूपालसागर
4. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर
5. पटवारी, पटवार हल्का, कांकरवा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री देवीलाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री मांगीलाल बैरवा व
पवन जायसवाल, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि ग्राम कांकरवा पटवार हल्का कांकरवा के हल्के बैरूनी में हाल खाता सं. 565 के हाल आराजी सं. 3064 रकबा 0.10 है. आ.सं. 3097 रकबा 0.42 है., आ.सं. 3098 रकबा 1.21 है., आ.सं. 3099 रकबा 0.04 है., आ.सं. 3100 रकबा 0.06 है., आ.सं. 3101 रकबा 0.08 है. आ.सं. 3102 रकबा 0.46 है., आ.सं. 3114 रकबा 0.16 है., आ.सं. 3124 रकबा 0.26 है., आ.सं. 3132 रकबा 0.48 है., आ.सं. 3607 रकबा 0.60 है., आ.सं. 3608 रकबा 0.40 है. आ.सं. 3609 रकबा 0.10 है., आ.सं. 4983/3105 रकबा 0.05 है. किता 14 रकबा 4.42 है. स्थित है, जो मौरूसी मिल्कीयत की होकर प्रार्थिया का हक हिस्सा निहीत है प्रार्थिया अपने हक हिस्से पर काबिज हो काश्त कर रही है वजह सबूत हाल जमाबंदी की नकले प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थना पत्र के पैरा 2 में वर्णित आराजियात प्रार्थिया व उसकी बहनों एवं अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। उक्त आराजियात का सम्पूर्ण खाता प्रार्थिया व उसकी बहनों एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता मृतक नाथू पिता लच्छीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड था। मृतक नाथू पिता लच्छीराम का पारिवारि सजरा इस प्रकार है – नाथू जी (फौत) भूरा (पुत्र), देऊ (पुत्री), हेमराज (पुत्र), प्रेमी (पुत्री) गीता (पुत्री) केशी (पत्नी)। उक्त सजरा अनुसार प्रार्थिया व उसकी बहनों एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 2 मृतक नाथू के जायन्दा वारिस होकर मृतक नाथू की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजियात में 1/5, 1/5 हक हिस्से के अधिकारी हैं लेकिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर मृतक नाथू के विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम व माता का नाम पर नामान्तरकरण खुलवा लिया जो गलत है। प्रार्थिया एवं उसकी बहन देउ व प्रेमी मृतक नाथू की

अदन्दा पुत्रियां हैं इस कारण हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया व उसकी बहनों एवं अप्रार्थी सं. 1 से 2 तक को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजियात में हाल जमाबंदी में दर्ज हिस्से को दुरूस्त कर 1/5, 1/5 हक हिस्सा दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने की अधिकारिणी है। इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्ष प्रार्थिया विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी नहीं किया गया तो प्रार्थिया को अपार नुकसान होगा जिसकी भरपाई भविष्य में नहीं हो पाएगी तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पक्ष प्रार्थिया जारी किया जाता है तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हैं। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजियात को अप्रार्थी सं. 1 से 2 नाम पर ज्यादा हिस्सा दर्ज होने से अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थिया को कब्जे से बेदखल करने की धमकी देते हैं कब्जे में दखल अन्दाजी करते हैं, आराजियात अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में ज्यादा हिस्सा दर्ज होने से आराजियात को रहन, बह, बक्षीस, बेचान, वसीयन अन्य को मुन्तकिल करने पर आमदा है। अप्रार्थीगण उक्त आराजियात को रहन, बह, बक्षीस, बेचान, वसीयन कर देते हैं, प्रार्थिया को कब्जे से बेदखल कर देते हैं तो प्रार्थिया को बेशुमार नुकसान होगा, जो मूल्यों में नहीं आंका जा सकेगा। इसलिये अप्रार्थी सं. 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रार्थिया को कब्जे से बेदखल नहीं करें, कब्जे में दखलअन्दाजी नहीं करें, अन्य को रहन, बह, बक्षीस, बेचान, वसीयन अन्य को मुन्तकिल नहीं करें। अप्रार्थी सं. 3 उप पंजीयक होने से प्रा. पत्र में वर्णित आराजियात के दस्तावेज का पंजीयन नहीं करें, अप्रार्थी सं. 4, 5 हाल राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करें तथा मौके की यथास्थिति कायम रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील श्री मांगीलाल बैरवा एवं अप्रार्थी सं. 2 की ओर से वकील श्री पवन जायसवाल ने अधिकार पत्र मय जवाब पेश किये, जो शामिल पत्रावली है। वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। दोनो पक्षों की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी जाकर वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया। वकील उभयपक्ष ने मूल वाद के निर्णय तक राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाई रखने पर सहमति बताई।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है। ग्राम कांकरवा पटवार हल्का कांकरवा के हल्के बैरूनी में हाल खाता सं. 565 के हाल आराजी सं. 3064 रकबा 0.10 है. आ.सं. 3097 रकबा 0.42 है., आ.सं. 3098 रकबा 1.21 है., आ.सं. 3099 रकबा 0.04 है., आ.सं. 3100 रकबा 0.06 है., आ.सं. 3101 रकबा 0.08 है. आ.सं. 3102 रकबा 0.46 है., आ.सं. 3114 रकबा 0.16 है., आ.सं. 3124 रकबा 0.26 है., आ.सं. 3132 रकबा 0.48 है., आ.सं. 3607 रकबा 0.60 है., आ.सं. 3608 रकबा 0.40 है. आ.सं. 3609 रकबा 0.10 है., आ.सं. 4863/3105 रकबा 0.05 है. किता 14 रकबा 4.42 है. भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक कायम रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 22.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गोलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर